




INDIA NON JUDICIAL




Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP08-3-0817833V
Certificate Issue Date	: 02-Sep-2023 07:09 PM
Appoint Authority	: NEWS@NIC (BV) up14160004/ RAMNAGAR/UP-BNS
Unique Doc Reference	: SUBIN-UPUP14160004027N136004333V
Purchased by	: SOBHA SADAN SEVA TRUST PRE MANJEET KUMAR UPADHYAY
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: -
First Party	: BOARD OF TECHNICAL EDUCATION
Second Party	: SOBHA SADAN SEVA TRUST PRE MANJEET KUMAR UPADHYAY
Stamp Duty Paid By	: SOBHA SADAN SEVA TRUST PRE MANJEET KUMAR UPADHYAY
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 100 (One Hundred only)



NOTARY 02-9-23
Teh. RamNagar
Barabanki



FEDERAL

DEPT

2023-09-23
Project Name: [illegible]
[illegible]

This affidavit has been prepared
and signed by Margaret K. Updegraff, Esq.
The deponent who is identified by
M. K. Updegraff
has satisfied my self by examining
to the deponent that under stands
the contents of the affidavit which
has been read and explained by me

[Signature]
NOTARY
Feb. 15, 2023 02-9-23

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली जिल्लागत इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के आवेदन और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले चोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

मंजोत कुमार, उपाध्यक्ष
नाम (नाम अध्यक्ष)

अमरनाथ शर्मा
नाम सचिव

एवं _____ (नाम अध्यक्ष) एवं _____ (नाम सचिव) कक्षा: अथवा एवं

सचिव _____ (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) _____ (सहायक निरक्षर स्थान)

राज्य का नाम एवं राज्य संख्या _____ (सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम एवं पता)

कक्ष है -

श्रीमत्सदन सेक्टर ट्रस्ट, जयपुरी के वेली, गंगोत्री

1. यह कि इनकी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा _____ (संस्था का नाम एवं पता) _____ (संस्था का नाम एवं पता) नामक जिल्लागत इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाता प्रस्तावित है।

2. यह कि इनकी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम श्रीमत्सदन सेक्टर ट्रस्ट, जयपुरी के वेली, गंगोत्री (सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम एवं पता) _____ (सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम एवं पता) में माफा संख्या 91/31 एवं 92/31 रकम कक्षा 0.550 एवं 0.2705 हेक्टेयर (कुल रकम 0.8205 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बांध किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपरोक्त भूमि के माफा संख्या 91/31 एवं 92/31 रकम कक्षा 0.550 एवं 0.2705 हेक्टेयर (कुल रकम 0.8205 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की जिल्लागत इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06/06/2023 द्वारा पारित किया गया है।


5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित जिल्लागत फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुपारित मन्त्रों के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के विधियों को अंतर्गत ही जिल्लागत फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद में सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्यम संस्थान से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/निगम/विद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संघालन न हो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संघालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संघालन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं अतिरिक्त स्टॉक की रीमाटी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा तब प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि नरे संस्थान में किसी भी समय स्वतंत्र निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हू कि, मेरे द्वारा ही नहीं, उपरोक्त सूचना नदी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि ही कभी, कानूनी एवं अनिलेख/वस्तुनिष्ठ पत्रों, कूटचिंत अथवा कूटपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे क्लिष्ट परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

उपरोक्त
 80 सचिव



80 अध्यक्ष